भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1548

दिनांक 10.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

सभी के लिए पेयजल

1548. श्री राम कृपाल यादवः

श्री संगम लाल गुप्ताः

श्री सुनील कुमार सिंहः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

श्री पी.पी. चौधरीः

श्री बृजभूषण शरण सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति/पीने योग्य पानी की उपलब्धता के संबंध में राज्य-वार आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पीने के पानी/पीने योग्य पानी की पहुंच सभी तक बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की राज्य-वार समय-सीमा क्या है;

(ङ) बजट-2021 में आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है और कितनी निधि का उपयोग किया गया है;

(च) क्या सरकार उक्त उद्देश्य के लिए बजट बढ़ाने की योजना बन रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार बजट लक्ष्य क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): अगस्त 2019 से, भारत सरकार पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करके जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल की व्यवस्था की जा सके। जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अभी तक, पिछले 29 महीनों में 5.72 करोड़ (29.63%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख के अनुसार, देश में 19.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 8.95

करोड़ (46.41%) परिवारों के पास अपने घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। देशभर के ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 07.02.2022 की स्थिति के अनुसार, देश की 17.01 लाख ग्रामीण बसावटों में से, 77.90% आबादी वाली 13.22 लाख (77.68%) बसावटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से अधिक के आपूर्ति स्तर के साथ और 20.39% आबादी वाली 3.44 लाख (20.24%) बसावटों में तर्कसंगत दूरी पर स्रोतों से 40 एलपीसीडी से कम के सेवा स्तर के साथ पीने योग्य पेयजल की व्यवस्था है तथा 1.71% आबादी वाली 0.35 लाख (2.08%) ग्रामीण बसावटों में पेयजल स्रोतों में जल गुणवत्ता की समस्या होने की सूचना दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए अंतिम रूप दी गई वर्ष-वार समय-सीमाएं निम्नानुसार हैं:

2020	2021	2022	2023	2024
गोवा	तेलंगाना बिहार पुदुचेरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	गुजरात हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड लद्दाख मणिपुर मेघालय पंजाब सिक्किम जम्मू व कश्मीर	अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश मिजोरम नागालैंड तमिलनाडु त्रिपुरा	असम आंध्र प्रदेश झारखंड महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल

गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली तथा दमण व दीव, में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है।

(ङ) से (छ): वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए आवंटित 45,011 करोड़ रुपये में से अब तक 28,681.89 करोड़ रुपये (64%) की राशि पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, 2022-23 में, मिशन के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में 60,000 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। बजट के अनुमोदन के बाद, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन, स्वीकृत आवंटन मानदंड के अनुसार तय किया जाता है।

*****

दिनांक 10.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1548 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति
(07.02.2022 की स्थिति के अनुसार)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.08.2019 तक कुल ग्रामीण परिवार (एचएच)	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण एचएच		आज की तारीख तक कुल ग्रामीण परिवार	अगस्त, 2019 से आदिनांक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण एचएच		नल जल की आपूर्ति वाले ग्रामीण एचएच	
			संख्या	% में		संख्या	% में	संख्या	% में
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.65	0.29	43.92	0.62	0.33	53.98	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.66	30.74	32.14	95.17	18.58	19.52	49.32	51.82
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.18	0.23	10.46	2.20	0.92	41.61	1.14	51.96
4.	असम	63.35	1.11	1.76	63.35	18.21	28.75	19.33	30.51
5.	बिहार	1,83.54	3.16	1.72	1,72.21	1,51.26	87.84		89.67
6.	छत्तीसगढ़	45.48	3.20	7.03	48.59	5.19	10.68	8.39	17.26
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.6	0.00	0.00	0.85	0.85	100.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	75.70	2.63	0.64	24.30	2.63	
9.	गुजरात	93.03	65.16	70.04	91.77	18.59	20.26	83.75	91.26
10	हरियाणा	28.94	17.66	61.04	30.97	13.30	42.96	30.97	
11	हिमाचल प्रदेश	17.04	7.63	44.76	17.28	8.35	48.31	15.97	92.46
12	जम्मू एवं कश्मीर	18.17	5.75	31.67	18.35	4.75	25.89	10.51	57.25
13	झारखंड	54.09	3.45	6.38	59.23	7.45	12.57	10.90	18.40
14	कर्नाटक	89.61	24.51	27.35	97.92	20.84	21.28	45.35	46.32
15	केरल	67.15	16.64	24.78	70.69	10.35	14.64	26.99	38.19
16	लद्दाख	0.44	0.01	3.21	0.43	0.11	26.11	0.13	29.42
17	मध्य प्रदेश	1,21.24	13.53	11.16	1,22.28	32.71	26.75	46.24	37.82
18	महाराष्ट्र	1,42.36	48.44	34.03	1,46.09	50.74	34.73	99.18	67.89
19	मणिपुर	4.52	0.26	5.73	4.52	2.59	57.29	2.85	63.03
20	मेघालय	5.9	0.05	0.77	5.90	2.05	34.80	2.10	35.57
21	मिजोरम	1.27	0.09	7.24	1.33	0.53	39.69	0.62	46.60
22	नागालैंड	3.86	0.14	3.60	3.77	1.35	35.77	1.49	39.45
23	ओडिशा	83.06	3.11	3.74	88.34	33.94	38.42	37.04	41.94
24	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.31	1.15	0.21	18.63	1.15	100.00
25	पंजाब	35.07	16.79	47.86	34.40	17.27	50.21	34.06	99.00
26	राजस्थान	1,01.32	11.74	11.59	1,01.45	11.26	11.10	23.00	22.67
27	सिक्किम	1.05	0.70	67.00	1.05	0.13	12.75	0.84	79.71
28	तमिलनाडु	1,26.89	21.76	17.15	1,26.89	29.51	23.26	51.27	40.40
29	तेलंगाना	54.38	15.68	28.84	54.06	38.38	70.99	54.06	
30	त्रिपुरा	8.01	0.25	3.06	7.60	2.88	37.86	3.12	41.08
31	उत्तर प्रदेश	2,63.39	5.16	1.96	2,64.28	30.04	11.37	35.20	13.32
32	उत्तराखंड	14.62	1.30	8.91	15.18	6.64	43.74	7.94	52.32
33	पश्चिम बंगाल	1,63.26	2.15	1.31	1,77.23	31.18	17.59	33.33	18.80
	कुल	**18,93.91**	**3,23.62**	**17.07**	**19,27.76**	**5,71.13**	**29.63**	**8,94.76**	**46.41**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: परिवार